

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

पत्रसिद्ध विपक्षी मोहन कुमार  
 क्रमांक 88, 788, 23 (1) पत्रावली संख्या 48 सन 16

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
-----------------	--

12/6/17  
 पत्रावली राजस्व लोक अंदाजत कैम्प में पेश  
 की गई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित रहे। प्रकरण  
 1 नं० पर निरंतरित किया जाने का निवेदन  
 किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में  
 दिनांक \_\_\_\_\_ को न्यायालय हाजा में पेश हो।  
14/8/17 सहायक कलेक्टर  
 (SDO) मावली

14/8/17  
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथम/अपोलाण्ड/  
 प्रतिवादी / विपक्षी / रिस्पो उपस्थित/पीठासीन-  
 अधिकारी महो. आज अवकाश/धमण/मिटिंग  
 में पधारे हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में  
 दिनांक 23/10/17 को पेश हो।

23/10/17 पत्रावली पेश की  
 कठिबन्ता वाली जप. क्र. 2, 3 उपस्थित  
 रहे हैं। ज.क्र. 1 के लक्षण वाली मामला  
 जप. आवाके रिलगर्त गई।  
 मनु. हो मनु. लक्ष्य का मुंबई निरस्त  
 लक्ष्य ताका शयनवादी के काटेला रिप  
 जाने हो ज.क्र. 4 के लक्षण पुनः  
 पेश हो पत्रावली दिनांक 11/1/18 की  
 पेश हो।

11/1/18 पत्रावली पेश की। लक्ष्य/मनु  
 कठिबन्ता वाली मनु. रिप. पाठ पत्रावली  
 दिनांक 24/1/18 में पेश हो।

पत्रावली पेश की गई। प्रत्येक लोक अदालत अधिकारी को पत्रावली पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। पत्रावली पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है।

सहायक कलेक्टर (SDO) मावली

पत्रावली

पत्रावली पेश की गई। प्रत्येक लोक अदालत अधिकारी को पत्रावली पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। पत्रावली पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है।

पत्रावली

सहायक कलेक्टर (SDO) मावली

23/8/18

पत्रावली पेश (2)

उक्त पत्रावली पेश की गई। प्रत्येक लोक अदालत अधिकारी को पत्रावली पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। पत्रावली पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है।

24/8/18

पत्रावली पेश की गई। प्रत्येक लोक अदालत अधिकारी को पत्रावली पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। पत्रावली पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है।

25/8/18

पत्रावली पेश की गई। प्रत्येक लोक अदालत अधिकारी को पत्रावली पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। पत्रावली पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है।



निर्णय पुनाया गया

सहायक कलेक्टर (SDO) मावली